मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य - सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1992 (माघ 25, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दियें जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 (7) तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, कृष्ण कुमार ध्रुव, सदस्य, बिलासपुर जिले के थानान्तर्गत पुलिस की पिटाई से एक आदिवासी की हुई मौत की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, बस्तर जिले से टीन की अवैध तस्करी से शासन को हो रही हानि की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, महिदपुर शुगर मिल के प्रबन्धकों द्वारा कृषकों को गन्ने का निर्धारित मूल्य प्रदाय न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डा. रमन सिंह, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर एवं कवर्धा शहर में घटित डकैती की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री भागचन्द सोगानी, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विधान सभा के दिसम्बर, 1991 सत्र की समिति के समक्ष विशेषाधिकार भंग की चार विचाराधीन सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाये".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रमेश कुमार दुबे, सदस्य -

(क) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम पांजरा से लोनी बर्रा, पचगांव, आमगांव, पोनिया, खैरघाट तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) जिला छिन्दवाड़ा के चौरई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने,

(ग) जिला छिन्दवाड़ा के चौरई नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(घ) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम बी झावड़ा विकासखण्ड चौरई में ठरका नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(च) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम बी झावड़ा से केदार खुर्द, केदारपुर कला होते हुए मडई तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(छ) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम बी झावड़ा विकास खण्ड में शासकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(ज) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम जमुनिया विकास खण्ड चौरई में पेयजल हेतु नलकूप का खनन कराये जाने,

(झ) जिला छिन्दवाड़ा के विकास खण्ड चौरई ग्राम टाप में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,

(त) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम गुरैया तालाब का गहरीकरण एवं मरम्मत कराये जाने,

(थ) जिला छिन्दवाड़ा, ग्राम कपुर्धा विकासखण्ड चौरई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(द) जिला छिन्दवाड़ा के चन्दन गांव चान्द तक सड़क निर्माण कराये जाने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 1 घन्टा (शेष 45 मिनिट) (1) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय - (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

15 मिनिट (2) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 5 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय 45 मि. (1) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि खाद पर जो सबसिडी समाप्त की गई है उसे राज्य शासन वहन कर किसानों को पूर्ववत् कीमत पर खाद दिलायी जाये".

15 मि. (2) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि जबलपुर से मंडला, कवर्धा, राजनांदगांव, चौकी, मोहला, मानपुर होते हुए महाराष्ट्र के चांदा तक रेल लाईन बिछाने हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जाये".

15 मि. (3) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की नव विकसित वैध बस्तियों में पहुंच मार्ग, मल व्ययन, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था अविलंब कराई जाये".

45 मि. (4) श्री महेश तिवारी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि विकास कार्यों के लिये किसान की जमीन अधिग्रहण के साथ ही न केवल उसे अविलंब मुआवजा मिले, बल्कि जीवकोपार्जन का वैकल्पिक साधन भी उसे अनिवार्य रूप से दिया जाये".

15 मि. (5) चौधरी मणीशंकर "सुमन", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटन में आरक्षण दिया जाये".

15 मि. (6) श्री प्रेम सिंह दत्तीगांव, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें शासन द्वारा पदस्थी स्थान पर स्वंय के आवास निर्माण हेतु धनराशि दी गई है, को आवंटित शासकीय आवास तुरन्त खाली करवायें जाये".

भोपालः
दिनांकः 13 फरवरी, 1992

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा